



महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन

(शिक्षा मंत्रालय, भारत शासन का स्वायत्तशासी संस्थान)

वेदविद्या मार्ग, चिन्तामण गणेश, पो. जवासिया, उज्जैन - 456006 (म.प्र.)

दूरभाष/Tele : (0734) 2502266, 2502254, फैक्स/Fax : (0734) 2502253

E-mail : msrvvpujn@gmail.com, Web : www.msrvvp.ac.in

- निविदा प्रपत्र -

कार्य का नाम: - वर्ष 2021-22 हेतु प्रतिष्ठान का सुरक्षा व्यवस्था के लिए

निविदा की अंतिम तिथि	:	13 मार्च, 2021 शनिवार, सायं 06:00 बजे
निविदा खोलने की तिथि	:	15 मार्च, 2021 सोमवार, प्रातः 11:00 बजे
सेवा/कार्य की अनुमानित लागत राशि	:	रु. 34,56,000/- (लगभग) रूपये चौतीस लाख छप्पन हजार रुपये मात्र
कार्य के पूर्ण करने की समय सीमा/समयावधि	:	एक वर्ष (आवश्यकतानुसार बढ़ाई जा सकती है।)
निविदा प्रस्तुत करने वाली संस्था का नाम एवं पता (दूरभाष एवं मोबाईल नम्बर सहित)	:	

प्रतिष्ठान के उपर्युक्त कार्य हेतु इच्छुक एवं अधिकृत निविदादाताओं से निविदा आमंत्रित की जाती हैं।

नियम एवं शर्तें

अ. निम्न पत्र/प्रपत्र एवं प्रमाण पत्र संलग्न करें :-

1. भारत सरकार द्वारा विड भरते समय जमा करने वाली धरोहर राशी में दी गई छूट के बदले संस्था द्वारा शपथपत्र भरना अनिवार्य है। शपथपत्र के अभाव में निविदा निरस्त मानी जाएगी। शपथपत्र का प्रारूप संलग्न है।
2. निविदाकार को पुलिस विभाग से जारी सुरक्षा एजेन्सी का प्रमाण पत्र की छायाप्रति प्रेषित करनी होगी।
3. निविदाकार को शासकीय एवं अर्द्धशासकीय तथा औद्योगिक संस्थाओं का न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव प्रमाण-पत्र/कार्यादेश की छायाप्रति प्रेषित करनी होगी। इसमें निविदा मूल्य की लागत का 80% का एक प्रमाण-पत्र अथवा 60% के दो प्रमाण-पत्र अथवा 50% के तीन प्रमाण-पत्र संलग्न करने आवश्यक हैं जो विगत 7 वर्षों के अन्दर प्राप्त किये गये हों।
4. निविदाकार फर्म का पैनकार्ड की छायाप्रति प्रेषित करनी होगी।
5. निविदाकार संस्था द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 (असेसमेंट वर्ष 2020-21) में जमा आयकर रिटर्न की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
6. GST विभाग से जारी GST नम्बर की छायाप्रति प्रेषित करनी होगी।
7. जनवरी माह में भरे गए GST रिटर्न की छायाप्रति।
8. पी.एफ. एवं ई.पी.एफ. से प्राप्त पंजीयन प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।
9. समस्त निविदादाताओं को अपनी सत्यनिष्ठा प्रमाणित करने हेतु संलग्न प्रपत्र पर हस्ताक्षर कर निविदा के साथ ही प्रस्तुत करना होगा।
10. निविदा में फर्म के प्रोपराइटर के नाम के साथ हस्ताक्षर अवश्य होने चाहिए।
11. निविदा प्रपत्र में दिये गये प्रारूप के अनुसार सभी मदों में दरें भरना अनिवार्य है।
12. निविदा निम्नलिखित अनुसार अलग-अलग प्रेषित करें:-
 - क) तकनीकी बोली - उपर्युक्त अनुसार माँगे गये समस्त प्रमाण प्रपत्र की स्वयं द्वारा सत्यापित छाया प्रतियाँ स्कैन कर अपलोड करे। मूल (original) प्रति निविदा के अन्तिम तिथि के पूर्व व्यक्तिगत अथवा डाक द्वारा प्रतिष्ठान कार्यालय को प्रेषित करें।
 - ख) वित्तीय बोली - प्रतिष्ठान द्वारा जारी निविदा फार्म में निर्धारित स्थान पर निविदा दरें भरी जाएँ। प्रस्तुत निविदा दरों में किसी प्रकार की काट-छाँट या (overwriting) मान्य नहीं होगी।

ब. निम्न स्थितियों में निविदा अमान्य/निरस्त मानी जायेगी :-

1. भारत सरकार नियमानुसार/सीपीपीपी द्वारा न्यूनतम दर पर संस्था को L1 होने पर उसे कार्यादेश जारी किया जाएगा। शपथ पत्र के अनुसार संस्था द्वारा कार्य नहीं करने की स्थिति में संस्था को 3 वर्ष के लिये ब्लैक लिस्ट किया जाएगा।
2. निविदा दरें प्रतिष्ठान की शर्तों पर आमंत्रित की गई हैं। अतः निविदाकार की कोई शर्त या बंधनकारी प्रावधान मान्य नहीं होगा अर्थात् सशर्त प्रस्तुत निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। निर्धारित निविदा फार्म में किसी प्रकार का टैक्स भुगतान या शर्तों का उल्लेख नहीं किया जावे।
3. निविदा दरें सुस्पष्ट अक्षरों में लिखा होना आवश्यक है। किसी प्रकार की अस्पष्टता एवं कटिंग, ओवर राईटिंग आदि होने पर निविदा स्वीकार नहीं होगी।
4. एक मद में भी निविदा दर न भरने पर निविदा स्वतः निरस्त हो जायेगी। निविदा प्रपत्र में दिये गये मद एवं मात्रा में ही दरें स्वीकार्य होंगी। अन्य मद एवं मात्रा में दी गई दरें स्वीकार्य नहीं होंगी।

स. अन्य जानकारियाँ :-

1. निविदा खोलते समय निविदाकार अथवा उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को उपस्थित होना आवश्यक है। अनुपस्थित रहने की स्थिति में किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी या जवाबदेही प्रतिष्ठान की नहीं होगी।
2. निविदा खोलने में सर्वप्रथम तकनीकी बोली खोली जायेगी। माँगे गये सम्पूर्ण प्रपत्रों के प्राप्त होने पर ही फाइनेंसियल बिड खोली जायेगी। तकनीकी बोली में अधूरे प्रपत्र प्राप्त होने पर वित्तीय बोली खोले बिना ही सम्बन्धित निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
3. निविदा स्वीकार्य होने के स्थिति में निविदा स्वीकृति पत्र जारी होने की तिथि से अधिकतम 15 दिनों में सफल निविदादाता को स्वीकृत निविदा राशि की 3% धनराशि का A/c Payee D.D. या FDR निष्पादन गारंटी के रूप में प्रतिष्ठान में जमा कराना अनिवार्य होगा। जो कार्य समापन तिथि से 60 दिन अधिक अवधि तक मान्य हो। निष्पादन गारंटी प्राप्त होने के अनन्तर धरोहर राशि वापस कर दी जाएगी।
4. निष्पादन गारंटी प्राप्त होने के अनन्तर एक सप्ताह के अन्दर कार्यादेश जारी कर दिया जायेगा। कार्यादेश प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर कार्य का अनुबंध हस्ताक्षर करना होगा तदनन्तर कार्य आरम्भ किया जाएगा।
5. कार्यादेश जारी होने की तिथि के पन्द्रह दिनों बाद की तिथि से कार्य प्रारम्भ माना जाएगा। उसी तिथि से समापन तिथि की गणना की जाएगी।
6. कार्य की विचलन सीमा (Deviation Limit) 100% रहेगी।
7. निविदा अवधि में आवश्यकता पडने पर सुरक्षा गार्डों की संख्या कम या अधिक की जा सकती है। अतः तदुसार तुरन्त व्यवस्था करनी होगी।
8. ड्यूटी पर तैनात किसी भी कर्मी को ड्यूटी स्थल तक आने जाने का किसी प्रकार का स्थानीय प्रभार भुगतान नहीं होगा।
9. भारत सरकार / राज्य सरकार द्वारा कार्य सम्बन्धित स्वीकृत समस्त कानूनों अधिनियमों के पालन का सम्पूर्ण दायित्व एजेंसी का होगा।
10. निर्धारित समय सीमा में कार्यादेश का पालन न करने की स्थिति में अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी।
11. बिल का भुगतान RTGS/PFMS द्वारा निविदा में नामित फर्म के नाम से जारी किया जायेगा।
12. कार्य की गुणवत्ता का विशेष ध्यान देना आवश्यक है। निविदा में दिये गये कार्य के अनुरूप कार्य न पाये जाने की स्थिति में अनुबन्ध रद्द कर दिया जायेगा।
13. बिल राशि से नियमानुसार आयकर एवं जीएसटी की कटौती की जिम्मेदारी प्रतिष्ठान की रहेगी। टीडीएस कटौती से सम्बन्धित कर (टैक्स) जमा होने के पश्चात् प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।
14. निविदा में निर्धारित न्यूनतम दर पर कार्य करना स्वीकार किया जायेगा।
15. निविदा दरें प्रतिष्ठान की शर्तों पर आमंत्रित की गई हैं अतः निविदाकार दो कोई शर्त या बंधनकारी प्रावधान मान्य नहीं होगा।
16. आवश्यक होने पर GST जमा करने की जवाबदारी निविदाकार फर्म की होगी।
17. समस्त सरकारी विभागों द्वारा जारी आवश्यक प्रमाण-पत्र प्रतिष्ठान कार्यालय में प्रस्तुत करना होंगे।
18. निविदा की अवधि एक वर्ष के लिए है। कार्य सन्तोषजनक होने पर निविदा की अवधि बढ़ाई जा सकती है।
19. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में प्रतिष्ठान के माननीय सचिव का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
20. किसी भी प्रकार के वाद-विवाद के लिए माननीय उच्च-न्यायालय क्षेत्र इन्दौर (म.प्र.) ही रहेगा।

21. भारत सरकार के द्वारा संचालित योजनाएँ यथा आयुष्मान भारत एवं सामाजिक सुरक्षा के तहत सभी कर्मचारियों का बीमा कवर किया जाना आवश्यक है। इस हेतु निविदा स्वीकृत एजेंसी स्वयं जिम्मेदार रहेगी।

द. सुरक्षा कर्मचारियों से सम्बन्धित नियम :-

1. कार्य पर लगाये गये कर्मचारियों की सूची मय जीवनवृत्त (बायोडाटा) के साथ प्रतिष्ठान कार्यालय में प्रस्तुत करना होगी। परिचय-पत्र जारी कर गार्ड के पास उपलब्ध होना चाहिए। बदली की स्थिति में सूची अद्यतन करना होगा।
2. समस्त कर्मचारियों का पुलिस से सत्यापन का प्रमाणपत्र लगाना अनिवार्य है।
3. कार्य पर लगाए गये कर्मचारियों के ई.पी.एफ., ई.एस.आई. एवं बीमा आदि जमा करने की जिम्मेदारी स्वयं निविदाकार की होगी तथा जमा करवायी गई राशि के चालान की प्रति प्रतिमाह पर प्रतिष्ठान में जमा करवानी होगी।
4. सुरक्षा गार्ड एवं गनमैन विधिवत प्रशिक्षित तथा अच्छे स्वस्थ एवं हृष्टपुष्ट होने चाहिए। इनकी आयु सीमा 21-55 वर्ष तक होनी चाहिए। बाल मजदूरी सख्त मना है।
5. गनमैन बन्दूक का लाइसेन्सधारी होना चाहिए।

ई. निविदा स्वीकृत होने पर :

1. केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन (Minimum Wages Act) ही कर्मचारियों को वेतन देय होगा। न्यूनतम वेतन से कम दर होने पर निविदा निरस्त मानी जाएगी। भारत सरकार के नियमानुसार/ सीपीपीपी द्वारा L1 निर्णय होने पर केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन दर (Minimum Wages Act) ही भुगतान किया जाएगा।
2. एजेन्सी द्वारा कार्य पर लगाये गए सभी कर्मचारियों का बैंक खाता पंजाब नेशनल बैंक जवासिया में खोलना होगा।
3. एजेन्सी को 7 तारीख से पूर्व में अपने कर्मचारियों को वेतन स्वयं RTGS द्वारा प्रेषित करना होगा। तदुपरान्त शाखा से प्राप्त वेतन को दर्शाए गए प्रति, EPF, ESI आदि का प्रमाणित प्रति एवं UAN संख्या सहित प्रस्तुत करने पर सभी बिल सही पाये जाने पर प्रतिष्ठान द्वारा भुगतान की प्रतिपूर्ति सामान्य परिस्थिति में 30 दिन के अन्दर की जाएगी। (1) कर्मचारी खाते में भुगतान किये गये राशि, (2) EPF, (3) ESI, (4) अन्य पूर्ण विवरण का एक पत्र में दर्शाना आवश्यक है। वैधानिक भुगतान की पूरी जिम्मेदारी एजेंसी की ही रहेगी।
3. आपके द्वारा कर्मचारियों को किये जाने वाले भुगतान एवं प्रतिष्ठान द्वारा आपके पूर्व में प्रेषित किये गये बिल का कोई सीधा सम्बन्ध नहीं होगा। आपके बिल में किसी प्रकार की त्रुटी या किसी विशेष परिस्थिति में प्रतिष्ठान द्वारा बिल भुगतान में विलम्ब होने पर भी आपको अपने कर्मचारियों को 3 (तीन) माह तक नियत समय से भुगतान करना होगा।
4. प्रतिष्ठान के द्वारा जारी नियमावली अनुलग्न में उल्लिखित है। एजेन्सी नियमावली उल्लिखित शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।
5. एजेन्सी के द्वारा लगाए गए कर्मचारियों का नियमित और समय पर (काम करने के माह के उपरान्त अगले महीने 7 तारीख से पहले) वेतन भुगतान करना होगा। कर्मचारियों से किसी भी तरह से अधिक अन्य शुल्क जबरन वसूली करने पर धारा 383-389 एवं Prevention of Money Laundering Act, 2002 के धारा-3 (सेक्सन-3) तहत आपराधिक मामला दर्ज कराया जाएगा। इसकी किसी भी तरह की शिकायत मिलती है तो एजेन्सी पर जबरन वसूली का IPC धारा 383-389 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी एवं एजेंसी को **Blacklist** कर दिया जाएगा।

सचिव

महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान

शपथ पत्र

नाम :

पिता का नाम :

उम्र :

निवासी :

फर्म/संस्था :

1. मैं शपथग्रहिता शपथपूर्वक कहता हूँ कि मैं महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान में सेवा हेतु निविदा भर रहा हूँ । मैं शपथपूर्वक कहता हूँ कि सीपीपीपी पोर्टल पर निर्णय होने पर कर्मचारियों को सप्लाई करने में प्रतिबद्ध हूँ ।
2. मैं L1 में होने पर न्यूनतम वेतन अधिनियम के अन्तर्गत पैरा ई-1 के तहत कर्मचारियों को सप्लाई करूँगा । ऐसा नहीं करने की स्थिति में मुझे आगे 3 वर्ष हेतु ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है, जो मुझे मंजूर है ।

शपथग्रहिता के हस्ताक्षर
(संस्था का प्रमुख)
प्रोपराइटर